

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सूचना

राज्य में वर्ष 2026 में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (Served/Unserved Block) एवं पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के Shifting/Addition of New Trade /Extention of Seat के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने के निमित्त DGT, भारत सरकार द्वारा नये ITI Affiliation Portal दिनांक-01.06.2026 से दिनांक-30.06.2026 तक खोले जाने के संबंध में DGT के पत्रांक-77940 दिनांक-18.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है।

अतएव वर्ष 2026 में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना (Served/Unserved Block) एवं पूर्व से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के Shifting/Addition of New Trade /Extention of Seat के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि विभागीय आदेश संख्या-1937 दिनांक-04.06.2021 द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुरूप राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त अपना आवेदन, भुगतान संबंधी साक्ष्य, संलग्न विहित प्रपत्र के अनुरूप डाटा तथा वांछित अभिलेख सहित दिनांक-25.06.2026 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त अभिलेखों के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पत्र एवं संबंधित विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html> से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इस संबंध में कोई भी सूचना युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के समेकित सूचना-सह-समाधान केन्द्र के टोल फ्री नम्बर-18002965656 से प्राप्त की जा सकती है।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-टी0-03/नामां0(प्रशि0)-06/2026.....945...../ पटना, दिनांक 29-05-2026/
प्रतिलिपि:-सभी संस्थानों के प्राचार्य/निदेशक/सचिव/अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

विहित प्रपत्र

1. ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी का नाम :-
पता :-
मोबाईल नम्बर :-
ईमेल आईडी :-
2. आवेदन का प्रकार- नया/स्थल परिवर्तन/संबंधन वृद्धि :-

नया आईटीआई होने की स्थिति में

- आईटीआई का नाम :-
MSTI :- हाँ/ना
पता :-
ब्लॉक :-
जिला :-
भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-
क्षेत्रफल (SQM) :-
व्यवसाय एव यूनिट की विवरणी जिसके लिए आवेदन किया गया है :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

पूर्व से संचालित आईटीआई

3. आईटीआई का नाम :-
MIS CODE :-
पता :-
ब्लॉक :-
जिला :-
भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-
क्षेत्रफल (SQM) :-
वर्तमान में संचालित व्यवसाय एवं युनिट की विवरणी :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

पूर्व से संचालित आईटीआई के स्थल परिवर्तन की स्थिति में

4. नये स्थल का पता :-
ब्लॉक :-
जिला :-
भूमि का विवरण (खाता खेसरा सहित) :-
क्षेत्रफल (SQM) :-

पूर्व से संचालित आई0टी0आई0 के संबंधन वृद्धि की स्थिति में

5. व्यवसाय एव यूनिट की विवरणी जिसके लिए आवेदन किया गया है :-

SL. NO	Trade	Total Unit	Unit in Shift-1	Unit in Shift-2

निदेशालय पत्रांक-1937 दिनांक-04.06.2021 के अनुसार जमा किये गये शुल्क की विवरणी

6.

क्र० सं०	शुल्क संरचना	भुगतान की गयी राशि	विवरण

(हस्ताक्षर)

नोट :- उपरोक्त प्रपत्र में विवरणी अंकित करते हुए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो को संलग्न करना अनिवार्य है।

1. ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी का निबंधन से संबंधित अभिलेख।
2. नया आई0 टी0 आई0 स्थापित करने/पूर्व से स्थापित आई0टी0आई0 का स्थल परिवर्तन/संबंधन वृद्धि हेतु Resolution.
3. भूमि संबंधी अभिलेख।
4. किराये की भूमि होने के स्थिति में एकरारनामा।
5. Affiliation Order (In Case of Old ITI).
6. Land Possession Certificate
7. जमीन का अद्यतन रसीद
8. निदेशालय पत्रांक-1937 दिनांक-04.06.2021 के अनुसार जमा किये गये शुल्क का साक्ष्य।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं० संख्या टी 2/संबंधन-08/2018-.....1937..... पटना, दिनांक- 04 - 06 -2021.

आदेश


बिहार राज्य में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से संबन्धन प्राप्त करने निमित्त निम्नलिखित प्रक्रियात्मक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

शुल्क संरचना	चार ट्रेडों तक या 12 यूनिट तक	12 से अधिक यूनिट के लिए
आवेदन शुल्क	₹ 12000.00*	₹ 15000.00*
चरण-II के लिए साइट मूल्यांकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00*+ ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
चरण-III के लिए साइट मूल्यांकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00*+ ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
पुनर्वलोकन शुल्क	₹ 30000.00*	₹ 30000.00*+ ₹ 3000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
नवीकरण शुल्क	₹ 40000.00*	₹ 40000.00*+ ₹ 5000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त
पुनर्संबद्धता शुल्क	₹ 40000.00*	₹ 40000.00*+ ₹ 5000.00* 12 से अधिक प्रति यूनिट अतिरिक्त

*GST as applicable on date of submission of application will be charged in addition to the above fee.


2. उपरोक्त सभी प्रकार का भुगतान Online Payment Gateway System/Demand Draft के माध्यम से Bihar State Council for Vocational TRG के खाता में जमा किया जाएगा। जिसका खाता संख्या 40191772582, बैंक का नाम-State Bank of India, IFSC Code- SBIN0018815, Branch- Niyojan Bhawan Branch, Branch Address- State Bank of India, Niyojan Bhawan, Bailey Road, Patna है।

- खाते में संचित राशि का व्यय SCVT Society के निर्णय के अनुरूप किया जाएगा।
- उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


04/06/2021
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं० सं० संख्या टी 2/संबंधन-08/2018-.....1937..... पटना, दिनांक- 04 - 06 -2021.

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महानिदेशक (प्रशिक्षण), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भवन, बी०-२, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 (E-mail- dirgen-msde@gov.in)/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


04/06/2021
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
बिहार, पटना।